प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

सेवामें,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

पत्रांक/प्रबन्ध–2/7553 /स०अ०/प्राथमिक मेरिट सूची/2025–26/दिनांक 10 जनवरी, 2026।

विषयः– **सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों हेतु आवेदकों की चयनित पात्रता सूची विभागीय बेबसाईट पर आनलॉईन प्रदर्शित के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक प्रा०शि०–दो (2)/699–2025/9991–95, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर भरे जाने हेतु दिनांक 12 जनवरी, 2026 को इस जनपद में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार की गयी अनन्तिम सूची विभागीय बेबसाईट Schooleducation.gov.in पर प्रदर्शित/अपलोड करने हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया अनन्तिम सूची अपलोड करने की कृपा करें।

संलग्नक–1. सीधी भर्ती एवं दिव्यांजन बैकलॉग चयनित अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची।
2 शपथ पत्र का प्रारूप।
3 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अभिलेख सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश।

भवदीय,

(नरेश कुमार हल्दियानी) 10/1/26
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

# कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

## सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अभिलेख सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश।

इस कार्यालय के आदेश संख्याः प्रा०शि०–2/नियुक्ति/553/रा०प्रा०वि०/2025–26/ दिनांक 07 नवम्बर, 2025 एवं संशोधित आदेश संख्या/प्रा०शि०–2/नियुक्ति /554/रा०प्रा०वि०/2025–26 दिनांक 08 नवम्बर, 2025 के द्वारा जनपद–टिहरी गढवाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक वेतनमनान 35400–112400 लेवल–6 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। जिसके क्रम में पात्र अभ्यर्थियों के शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त अभिलेखों की जॉच हेतु दिनांक 12 जनवरी, 2026 की तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि को पात्र अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करेंगे।

1. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र चयन समिति के पास जमा करने होंगे, जिन्हें काउन्सिलिंग समाप्ति के पश्चात वापस किया जायेगा।
3. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र मूल प्रति में।
4. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट(यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।)
5. दिव्यांगजन से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिये गये प्रारूप के अनुसार काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करे।
7. आर्थिक रूप से कमजोर धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 संख्या–164 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 " के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।
9. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण पत्र शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
10. एन0आई0ओ0एस0, डी0एल0एड0 अभ्यर्थियों को शैक्षिक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य यथा सम्बन्धित विद्यालय में नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धन/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण (बैंक पासबुक की छायाप्रति), उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति (10 अगस्त 2017 से मार्च 2019 तक), पठन–पाठन की समय सारणी एवं विद्यालय का (2017–18, 2018–19) डाईस बुकलेट की फोटो प्रति अपने साथ लाये।
11. समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दो–दो प्रतियों में फाईल के साथ लाये।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन में प्रतिभाग नही किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नही किया जायेगा। विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित सूची में जिन अभ्यर्थियों की मेरिट उसी वर्ग विषय और श्रेणी में अधिक हो या नाम छूट गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त अभिलेखों सहित उक्त निर्धारित तिथि को स्वयं चयन समिति के समक्ष उपस्थित होवें व अपना पक्ष प्रस्तुत करें, ऐसे अभ्यर्थी के भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(नरेश कुमार हल्दियानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

::शपथ पत्र::

## समक्षः–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

द्वारा– मैं शपथकर्ता/कर्ती...........................................................................................पिता/पति का नाम.................................................................... निवासी...........................................ईश्वर की शपथ लेकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार शपथ करता/करती हूँ।

1. यह कि, शपथकर्ता उपरोक्त दर्शायें गये पते पर निवास करता/करता हूँ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी मेरिट सूची के अनुसार मेरा क्रमांक.......................... पर दर्ज है, जो सही है।
2. यह कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन किया है उसमें सभी संलग्न प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है। यदि मेरे शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्रों में कोई ऐसा तथ्य संज्ञान मे आता है जिसमें मेरी नियुक्ति निरस्त की जाती है तो मुझे मान्य होगा/होगी। मेरे द्वारा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0एल0एड0 या अन्य प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की है।
3. यह कि मेरे द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा .....................................राज्य से उत्तीर्ण की है। मेरे माता पिता वहॉ राजकीय सेवा/अन्य व्यवसाय में कार्यरत थे।
4. यह कि मैं समय–समय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/नियमों का पालन करूगॉ/करूगी।
5. यह कि मेरे द्वारा अपनी जाति एंव निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो प्रमाण पत्र संलग्न किया है वह सत्य और सही हैं।
6. **यह कि मेरे द्वारा उत्तरप्रदेश/अन्य प्रदेशों से डी0एल0एड0 अथवा ऐसा प्रशिक्षण जिसें उत्तराखण्ड राज्य में डी0एल0एड0 के नाम से जाना जाता है, किया है। वहॉ पर दाखिले के समय सम्बन्धित प्रदेश के स्थाई निवास की बाध्यता नही थी।**
7. यह कि वर्तमान में मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय मे कोई आपराधिक मामला दर्ज/विचारधीन नही है।
8. यह कि मेरे अन्य राज्य के निवासी होने तथा विवाह उत्तराखण्ड राज्य में होने की स्थिति में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता नाम.......................................................पिता/पति..................................................................................को सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के क्रमांक 01 से ..........................तक के कथन मेरी निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं। आज दिनांक .................................. ........को स्थान................................................में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर दी।

स्थान –<br>
दिनांक–

हस्ताक्षर शपथकर्ता